आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद संख्या –295 / 2012
हेमा कुमारी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
13.04.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 4746 / 2020 में दिनांक–02.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर है :– **"Considering the facts and circumstances above and the petitioner's undisputed claim of parity as emanating from the pleadings , this Court would direct that the petitioner's claim for reinstatement be considered by the Commissioner, Muzaffarpur afresh, based on parity. The matter is remitted to the Commissioner, Tirhut Division (respondent no .3) for consideration afresh. The remand order dated 06.12.2019 passed on the petitioner's Appeal No. 295/2012 shall not come in the way of such consideration. The Commissioner should consider the petitioner's claim within eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order."**	

WEB COPY NOT OFFICAL

वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढ़ी के आदेश को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर दिनांक 12.01.2013 को निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 11578/2013 दायर किया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आदेश को खारिज कर दिया तथा मामले को पुनः विचार करने के निदेश के साथ आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को रिमांड किया। परंतु तत्कालीन आयुक्त द्वारा पुनः वादी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। जिसके विरूद्ध वादी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 4746/2020 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने पुनः आयुक्त तिरहुत, प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को वादी को सुनकर आदेश पारित करने का निदेश दिया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य दावा यह है कि

इसी तरह का मामला वादी (श्रीमती हेमा कुमारी) के प्रखंड में किरण कुमारी के विरूद्ध प्रकाश में आया, जिसका अपील वाद सं0–74/2013 इस न्यायालय (आयुक्त) द्वारा दिनांक 12.12.2014 को स्वीकृत किया गया तथा इसी प्रकार का एक अन्य मामला रानी देवी के संदर्भ में दिनांक 27.04.2012 का आया जिसमें उप निदेशक कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा उपरोक्त रानी देवी के विरूद्ध पारित आदेश को अस्वीकार कर दिया तथा (रानी देवी) सेवा अपील वाद सं0–355/2013–14 को दिनांक 12.11.2014 को स्वीकार किया गया और दोनों अपनी–अपनी सेवा शांतिपूर्ण तरीके से अपने–अपने केन्द्र पर दे रही है। उसी आधार पर इस वाद के वादी ने वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

WEB COPY NOT OFFICAL

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार वादी का दावा उप निदेशक कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा अन्य मामले में पारित आदेश के आधार पर किया जा रहा है, जो गलत है। क्योंकि उप निदेशक कल्याण द्वारा पारित आदेश आयुक्त के लिए Precedent नहीं हो सकता है, इसलिए उप निदेशक कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आदेश के आधार पर प्रश्नगत मामले को स्वीकृत कर लेना उचित नहीं है। गुण–दोष तथा इस वाद के तथ्यों एवं नियमों के आधार पर निर्णय उचित होगा।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाद को इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा दिनांक 12.01.2013 को ही क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध वादी माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे CWJC No. 11578/2013 दायर किया था, जिसके आलोक मे इस न्यायालय द्वारा (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा दिनांक 06.12.2019 को वाद के गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित किया जा चुका है। पुनः उक्त आदेश के विरूद्ध वादी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 4746/2020 दायर किया, जिसके आलोक मे इस वाद की सुनवाई कर आदेश पारित किया जा रहा है। सर्वप्रथम उल्लेखनीय यह है कि प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता आज भी इस न्यायालय को नहीं है, क्योंकि विभागीय पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में वर्णित है कि ***"जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जायेगा।"*** परंतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक

WEB COPY NOT OFFICAL

में इसकी सुनवाई की गई। अब जहाँ तक वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह दावा कि प्रश्नगत मामले जैसे मामले में ही उप निदेशक, कल्याण द्वारा आदेश पारित किया गया है जिस आधार पर अन्य सेविका शांतिपूर्ण कार्य भी कर रही है, के संबंध में कहना है कि उप निदेशक, कल्याण के आदेश को इस न्यायालय द्वारा आधार मानकर आदेश पारित करना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2019 (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा वाद के गुण–दोष पर विचारोपरांत पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है। उप निदेशक, कल्याण के आदेश को इस न्यायालय द्वारा Precedent (आधार) मानकर आदेश करना न्यायोचित नहीं है। वैसे भी उप निदेशक, कल्याण इस न्यायालय से अन्युन है और अन्युन न्यायालय के आदेश को आधार मानकर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पारित करने का दावा मान्य नहीं हो सकता है। आयुक्त न्यायलय में सिर्फ नियम, तथ्यों, गुण–दोष या माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेश ही Precedent के रूप में मान्य हो सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) के आदेश दिनांक 06.12.2019 एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के आदेश दिनांक 22.05.2012 को उचित पाते हुए उसे यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICAL